फा.सं. ई-12019/1/2024-हिंदी/540

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

हिंदी अनुभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग

नई दिल्ली, दिनांक: 02 अगस्त, 2024

कार्यालय ज्ञापन

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय एवं उसके अंतर्गत सभी संगठनों/अधीनस्थ कार्यालयों एवं सार्वजनिक उपक्रमों को सूचित किया जाता है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन दिनांक 14-15 सितंबर, 2024 **(प्रति संलग्न)** में किया जा रहा है। इस संबंध में मंत्रालय के अंतर्गत सभी संगठन/अधीनस्थ कार्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम अपने स्तर पर हिंदी से जुड़े एवं अन्य अधिकारियों को इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नामित करें।

2. सम्मेलन में प्रतिभागिता हेतु पंजीकरण (नि:शुल्क) अनिवार्य है। पंजीकरण राजभाषा विभाग की वेबसाइट https://rajbhasha.gov.in पर "राजभाषा समारोह" टैब पर दिए गए लिंक https://164.100.54.224/hds2024 में किया जा सकता है।

3. सम्मेलन हेतु पंजीकरण पोर्टल दिनांक 10 जुलाई, 2024 से 20 अगस्त, 2024 तक खुला रहेगा।

2-8-2024

(अनिल कुमार)

उप-निदेशक (राजभाषा)

दूरभाष:- 23310408

सेवा में:-

1. मंत्रालय के अंतर्गत सभी संगठनों/अधीनस्थ कार्यालयों एवं सार्वजनिक उपक्रमों ।

अंशुली आर्या, आई.ए.एस.
सचिव
ANSHULI ARYA, I.A.S.
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

2685425
04/07/24

सं. 11034/04/2024-राजभाषा(नीति) दिनांक 03.07.2024

आदरणीय महोदय / महोदया

विषयः 14-15 सितंबर, 2024 को भारत मंडपम्, नई दिल्ली में हिंदी दिवस और चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के आयोजन के संबंध में।

संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया और तब से इस दिवस को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ से यह अपेक्षा की गई है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। संविधान की इसी भावना के अनुरूप गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग हिंदी दिवस एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन करता है।

OFFICE OF ECONOMIC ADVISER
Block-11, CGO Complex, New Delhi-110003
Diary No. 271
Date 9/7/24

2. माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के मार्गदर्शन में राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी दिवस-2023 एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भव्य आयोजन पुणे, महाराष्ट्र में किया गया था। दो दिवसीय इस अत्यंत सफल आयोजन में देश भर के लगभग 10 हजार हिंदी सेवियों ने प्रतिभागिता की। पिछले वर्षों की भाँति इस वर्ष भी हिंदी दिवस एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन अत्यंत भव्य एवं गरिमामयी रूप में किया जाएगा। **माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में 14 सितंबर, 2024 को हिंदी दिवस तथा 14 एवं 15 सितंबर, 2024 को चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का सम्मिलित आयोजन भारत मंडपम्, नई दिल्ली में होगा।**

3. इसके अतिरिक्त, आपसे अनुरोध है कि अपने मंत्रालय/विभाग में हिंदी माह/पखवाड़ा पूरे उत्साह से मनाएं। इस दौरान सभी अधिकारियों/कार्मिकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें कि वे केवल अनुवाद पर निर्भर न रहकर अपना अधिक से अधिक कामकाज मूलरूप से राजभाषा हिंदी में करें। इस अवधि के दौरान, राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराएं। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि यथासंभव आपके मंत्रालय/विभाग के प्रत्येक कार्यालय में हिंदी दिवस का शुभारंभ 14 सितंबर 2024 को भारत मंडपम्, नई दिल्ली में हो और समापन संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में हो।

E.A.

4. इस अवधि के दौरान सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने कार्मिकों को राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प, 1968 सहित राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर संघ की राजभाषा नीति से संबंधित जारी दिशा-निर्देशों से अवगत करवाया जाए। सभी अधिकारियों/कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर जाकर हिंदी शब्द सिंधु, ई-पत्रिका पुस्तकालय एवं ई-सरल हिंदी वाक्यकोश जैसे आईटी टूल्स का भरपूर लाभ उठाएं। इसके अलावा अधिकारियों/कार्मिकों को स्मृति आधारित स्वदेशी अनुवाद सॉफ्टवेयर 'कंठस्थ 2.O' के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार, केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम, नियम तथा इनके अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए।

Dir (Mann)

......जारी

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : (91) (11) 23438266, फैक्स : (91) (11) 23438267, ई-मेल : secy-ol@nic.in

5. आपसे अनुरोध है कि अपने मंत्रालय/विभाग के राजभाषा से जुड़े सभी अनुवाद अधिकारियों एवं मंत्रालय के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नई दिल्ली में होने वाले हिंदी दिवस एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होने का निर्देश दें। कृपया सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों/बोर्डों/ निगमों आदि को भी ऐसे ही निर्देश मंत्रालय की ओर से जारी किए जाएं। उनके राजभाषा हिंदी से जुड़े अधिकारी भी अनिवार्य रूप से 14-15 सितंबर, 2024 को भारत मंडपम्, नई दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करें।

सादर

शुभेच्छु

अं आर्या

(अंशुली आर्या)

<u>भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव</u>